

## भूमिहीन कृषक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता .....

ग्राम ..... पटवार मण्डल..... तहसील तालेडा जिला बून्दी यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है। तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कृषि योग्य भूमि दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी खसरा संख्या .....रकबा .....खातेदार श्री .....

पिता ..... ग्राम ..... पटवार मण्डल .....

तहसील तालेडा जिला बून्दी की खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करता है जो भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है।

हस्ताक्षर/नाम ..... मो.नं. ....

काश्तकार/खातेदार  
(जिसकी भूमि में प्रार्थी कृषि कार्य करता है।)  
दिनांक :

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार मण्डल .....

मोहर .....

दिनांक .....

नोट:-

1. भूमिहीन कृषक का प्रमाण-पत्र उन कृषकों को जारी किया जावे जिनके स्वयं के नाम कोई कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा वह पिता की भूमि/ज्वारा काश्त/सिवायचक भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।
2. प्रार्थी जिस खातेदार की भूमि में कृषि कार्य करता है उसकी जमाबंदी की कॉपी व उसका आधार कार्ड/राशनकार्ड की कॉपी संलग्न करें।
3. प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र भी संलग्न करें।
4. प्रार्थी के पिता के नाम पर जमीन होने पर पटवारी से पिता की सम्पूर्ण जमीन की रिपोर्ट व वारिसान की जानकारी की रिपोर्ट करवाए।
5. जोती जाने वाली भूमि की कुल आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## सीमान्त/लघु कृषक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता .....

ग्राम ..... पटवार मण्डल..... तहसील तालेडा जिला बून्दी यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सीमान्त/लघु कृषक की श्रेणी में आता है। इसके खाते में कुल ..... बीघा कृषि योग्य भूमि है और इसके खसरा नम्बर .....

है। यह भूमि पटवार मण्डल ..... तहसील..... में विस्थित है। यह भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार मण्डल .....  
मोहर .....  
दिनांक .....

नोट:-

1. सम्पूर्ण भूमियों की ऑनलाईन नकल संलग्न करें।